भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2755

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

कोयले के आयात के लिए नए विनियमन

2755. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोयले के आयात की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विगत वर्ष के दौरान कोयले के आयात के संबंध में कोई नई नीतियां अथवा विनियमन लागू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार कोल इंडिया लिमिटेड और अन्य केन्द्रीयकृत स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय राज्य सरकारों को सीधे कोयले का आयात करने की अनुमति दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस नीतिगत परिवर्तन के संभावित लाभों और कमियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोयले की कमी और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी मुद्दों ने पिछले 12-24 महीनों में भारत के विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन और विद्युत उपलब्धता को प्रभावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा राज्य स्तर पर इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोयले के आयात का ब्यौरा निम्नानुसार है-

(मिलियन टन में)

वर्ष	कोकिंग कोयला	गैर-कोकिंग कोयला	कुल आयात
2021-22	57.12	151.51	208.63
2022-23	56.05	181.62	237.67
2023-24	58.12	202.88	261.00
2024-25 मई 2024 तक	10.46	36.86	47.32

(ख) से (घ) : मौजूदा आयात नीति के अनुसार, कोयले को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत रखा जाता है और उपभोक्ता लागू शुल्क के भुगतान पर अपने संविदागत करार के अनुसार अपनी पसंद के स्रोत से कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। देश में कोयले की अधिकांश आवश्यकता स्वदेशी उत्पादन द्वारा पूरी की जाती है।

(ङ) : देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। देश में कोयले की अधिकांश आवश्यकता स्वदेशी कोयला उत्पादन और आपूर्ति द्वारा पूरी की जाती है। सरकार का ध्यान कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने तथा देश में कोयले के गैर-जरूरी आयात को समाप्त करने पर है। अखिल भारतीय घरेलू कोयला उत्पादन वर्ष 2022-2023 में 893.191 मि.ट. की तुलना में लगभग 11.71% की वृद्धि के साथ वर्ष 2023-2024 में 997.828 मिलियन टन (मि.ट.) (अनंतिम) था।

(ii) कोयले की आपूर्ति वित्त वर्ष 2022-23 में 877.369 मि.ट. की तुलना में 10.9% की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2023-24 में 973.015 मि.ट. (अनंतिम) थी। उसी वर्ष के दौरान, वित्त वर्ष 2022-23 में 744.6 मि.ट. की तुलना में 8.4% की वृद्धि के साथ विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति 807.2 मि.ट. (अनंतिम) थी। 31.07.2024 की स्थिति के अनुसार विद्युत संयंत्रों में उपलब्ध कोयला स्टॉक लगभग 45.8 मि.ट. है, जो लगभग 19 दिनों के लिए पर्याप्त है।

(च) विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति के मुद्दों का समाधान करने के लिए, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों वाले एक अंतर-मंत्रालयी उप समूह की नियमित रूप से बैठक होती है ताकि तापीय विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में संकटग्रस्त कोयला भंडार की स्थिति को कम करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लिए जा सकें। इसके अलावा, कोयला आपूर्ति और विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि की निगरानी करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है जिसमें अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड; सचिव, कोयला मंत्रालय; सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सचिव, विद्युत मंत्रालय शामिल हैं। सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और अध्यक्ष, सीईए को आवश्यकतानुसार विशेष आमंत्रित के रूप में सहयोजित किया जाता है।

****